14.06.2024:–आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से पक्षाकारो का राजीनाम हो गया। जिससे वादी अब अपने वाद पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाहता है। वाद पत्र को इसी स्तर पर खारिज (ड्राप) फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उकत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादीगण के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गए। वादीगण की पहचान वादीगण अधिवक्ता श्री अजयकुमार बिश्नोई द्वारा की गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जाकर उक्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मौजूदा सूरत मे विड्रा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़